करेंट अफ़ेयर्स

झारखण्ड

(संग्रह)

जुलाई

2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखण्ड 3

- हुल दिवस 2025 3
- सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान 5
- राँची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 7
- झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त 8
- झारखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 11
- ‘कला उत्सव 2025’ में सोहराय कला का प्रदर्शन 12

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

झारखण्ड

हुल दिवस 2025

चर्चा में क्यों ?

हुल दिवस (30 जून, 2025) पर प्रधानमंत्री ने **भारत के आदिवासी समुदायों के साहस** को **श्रद्धांजलि** अर्पित की तथा **औपनिवेशिक शासन** के विरुद्ध संघर्ष करने वाले संथाल हुल आदिवासी **शहीदों** की **विरासत** को **सम्मानित** किया।

मुख्य बिंदु

- **1855 के संथाल हुल के बारे में:**
  - **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** 1855 का संथाल हुल भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक था। चार भाइयों- **सिद्धो, कान्हो, चाँद और भैरव मुर्मू** तथा बहनों **फूलो** और **झानो** के नेतृत्व में, विद्रोह **30 जून 1855** को शुरू हुआ।
    - विद्रोह का लक्ष्य न केवल अंग्रेज़ थे, **बल्कि उच्च जातियाँ, ज़मींदार, दरोगा और साहूकार भी थे, जिन्हें सामूहिक रूप से 'दिकू' कहा जाता था।**
    - इसका उद्देश्य संथाल समुदाय के आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था।
- **विद्रोह की उत्पत्ति:**
  - वर्ष 1832 में कुछ क्षेत्रों को **'संथाल परगना' या 'दामिन-ए-कोह'** नाम दिया गया, जिसमें वर्तमान झारखंड में साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा के कुछ हिस्से शामिल हैं।
    - यह क्षेत्र संथालों को दिया गया था, जो बंगाल प्रेसीडेंसी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से विस्थापित हुए थे।
  - संथालों को **दामिन-ए-कोह में बसने** और कृषि करने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बदले उन्हें दमनकारी भूमि हड़पने तथा बेगारी (बँधुआ मज़दूरी) का सामना करना पड़ा।
    - संथाल क्षेत्र में बँधुआ मज़दूरी की दो प्रणालियाँ उभरीं, जिन्हें **कामियोती** और **हरवाही** के नाम से जाना जाता है।
      - **कामियोती** के तहत, **ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता के लिये काम करना पड़ता था,** जबकि **हरवाही के तहत**, ऋणदाता को व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करनी पड़ती थीं और आवश्यकतानुसार ऋणदाता के खेत की जुताई करनी पड़ती थी। बॉन्ड की शर्तें इतनी सख्त थीं कि संथाल के लिये अपने जीवनकाल में ऋण चुकाना लगभग असंभव था।
- **गुरिल्ला युद्ध एवं दमन:**
  - मुर्मू बँधुओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगभग 60,000 संथालों का नेतृत्व किया। छह महीने तक चले भयंकर प्रतिरोध के बावजूद, जनवरी 1856 में भारी जनहानि और तबाही के साथ विद्रोह का दमन दिया गया।
    - 15,000 से ज़्यादा संथालों ने अपनी जान गँवाई और 10,000 से अधिक गाँवों का विनाश हुआ।
    - हुल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ़ शुरुआती प्रतिरोध को उजागर किया और यह आदिवासी लचीलेपन का प्रतीक बना हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रभाव:** इस विद्रोह के परिणामस्वरूप ही संथाल परगना काश्तकारी (Santhal Pargana Tenancy- SPT) अधिनियम, 1876 पारित किया गया जो आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने को प्रतिबंधित करता है, केवल समुदाय के भीतर ही भूमि उत्तराधिकार की स्वीकृति देता है तथा संथालों को अपनी भूमि पर स्वयं शासन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

संथाल जनजाति

- **जनसांख्यिकीय वितरण:**
  - संथाल भारत के **सबसे बड़े जनजातीय समुदायों** में से एक हैं, जो मुख्यत: **झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा** में **केंद्रित** हैं।
- **भाषा:**
  - संथाल समुदाय की भाषा **संथाली** है, जो **खेरवाड़ी बोली** के अंतर्गत आती है तथा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की **मुंडा शाखा** से संबंधित है।
- **व्यवसाय और आजीविका:**
  - कई संथाल लोग **आसनसोल (पश्चिम बंगाल)** के पास **कोयला खदानों** तथा **जमशेदपुर (झारखंड)** के **इस्पात कारखानों** में कार्यरत हैं।
  - इसके अतिरिक्त, कुछ लोग मौसमी कृषि मजदूर के रूप में भी काम करते हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में चावल की खेती उनकी आर्थिक गतिविधि का मुख्य आधार है।
- **ग्राम प्रशासन:**
  - प्रत्येक **संथाल गाँव** का नेतृत्व एक **वंशानुगत मुखिया** करता है, जिसे **बुजुर्गों की परिषद** का सहयोग प्राप्त होता है। यह मुखिया न केवल प्रशासनिक बल्कि **धार्मिक और औपचारिक कर्त्तव्यों** का भी **निर्वहन** करता है।
  - गाँवों का एक समूह मिलकर एक **परगना** बनाता है, जिसका नेतृत्व एक **अन्य वंशानुगत मुखिया** करता है।
- **गोत्र और सामाजिक संरचना:**
  - संथाल समुदाय में **12 वंश (गोत्र)** होते हैं, जो आगे **पितृवंशीय उपविभागों** में विभाजित हैं।
  - **गोत्रीय बहिर्विवाह प्रथा** का **सख्ती से पालन** किया जाता है अर्थात् एक ही गोत्र के व्यक्ति आपस में **विवाह नहीं कर सकते**।
  - प्रत्येक कबीले और उप-कबीले की **सदस्यता** के साथ **पहनावे, भोजन, आवास** तथा **अनुष्ठानों** के विशिष्ट **नियम** जुड़े होते हैं।
  - संथालों में **एकल विवाह प्रथा** सामान्य है; यद्यपि बहुविवाह की अनुमति है, लेकिन यह **दुर्लभ** है।
- **धर्म और विश्वास:**
  - संथाल पारंपरिक रूप से **आत्माओं की पूजा** करते हैं और अपने **पैतृक पंथों**, विशेष रूप से **कबीले के मुखियाओं** से संबंधित पंथों को विशेष **महत्त्व** देते हैं।
  - उनकी आध्यात्मिक प्रथाएँ और **धार्मिक अनुष्ठान**, उनकी सांस्कृतिक पहचान का केंद्रीय हिस्सा हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान

चर्चा में क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 4 जुलाई, 2025 को **राँची, झारखंड** में सावित्रीबाई फुले **राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान** के एक नए **क्षेत्रीय केंद्र** का उद्घाटन किया।

- इस केंद्र का उद्देश्य **प्रशिक्षण का** विकेंद्रीकरण, **ज़मीनी स्तर पर सेवा वितरण** को बढ़ाना तथा **पूर्वी क्षेत्र** में प्रमुख योजनाओं का **समर्थन** करना है।

मुख्य बिंदु

- **परिचय:**
  - **यह झारखंड, बिहार, ओडिशा** और **पश्चिम बंगाल** के लिये पहला समर्पित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है।
  - इससे गुवाहाटी और लखनऊ केंद्रों पर निर्भरता कम होगी तथा क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिये लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ आसान हो जाएंगी।
  - **बेहतर सेवा वितरण:** संसाधनों को क्षेत्र के निकट लाकर तथा स्थानीय सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और ज़मीनी हकीकतों के अनुरूप हस्तक्षेप करके केंद्रीय योजनाओं के अंतिम छोर तक कार्यान्वयन को मज़बूत किया जाता है।
- **संस्थान का नाम बदलना:**
  - पूर्व **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान** कर दिया गया है।
  - यह नाम परिवर्तन **महिला और बाल-केंद्रित विकास** पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं** के अनुरूप है।
- **प्रमुख योजनाओं को समर्थन:**
  - **यह केंद्र मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों, जिसमें** मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 **शामिल हैं,** के तहत प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
  - इस सुविधा का उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं को प्रासंगिक कौशल और ज्ञान से युक्त करके क्षेत्र कार्यान्वयन को मज़बूत करना है।
  - **क्षमता संवर्द्धन और रोज़गार: राँची केंद्र** बाल मार्गदर्शन और परामर्श में **उन्नत डिप्लोमा** प्रदान करेगा, **प्लेसमेंट सहायता** के साथ **व्यावसायिक प्रशिक्षण** देगा तथा **महिलाओं और युवाओं** के लिये **रोज़गार के अवसर** सृजित करेगा।
  - **राष्ट्रीय प्रभाव और भविष्य का दृष्टिकोण:** देश भर में **विद्यमान केंद्रों** के माध्यम से संस्थान प्रतिवर्ष **1,000 से अधिक पेशेवरों** को प्रशिक्षित करता है; नया **राँची केंद्र पूर्वी भारत** में पहुँच को बढ़ावा देता है तथा **समावेशी विकास** को समर्थन प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मिशन शक्ति

- **परिचय:**
    - यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** की एक योजना है, जिसका उद्देश्य **महिला सुरक्षा, संरक्षा** और **सशक्तीकरण** के लिये हस्तक्षेपों को **मज़बूत** करना है।
    - यह **एकीकृत** और **नागरिक-संचालित प्रयासों** के माध्यम से उनके **जीवन चक्र** में **"महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास"** को बढ़ावा देता है।
- **उप-योजनाएँ:**
    - **संबल (सुरक्षा और संरक्षण):** इसमें वन स्टॉप सेंटर, **महिला हेल्पलाइन,** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा **समुदाय आधारित विवाद समाधान** और लैंगिक न्याय के लिये **महिला न्यायालय** शामिल हैं।
    - **समर्थ्य (सशक्तीकरण): उज्ज्वला, स्वधार गृह, कामकाज़ी महिला छात्रावास, राष्ट्रीय क्रेच स्कीम** और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं को आपस में जोड़ती है।
    - **महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता** को समर्थन देने के लिये **आर्थिक सशक्तीकरण** हेतु **गैप फंडिंग** की शुरुआत की गई है।

मिशन वात्सल्य

- **लॉन्च वर्ष: वर्ष 2021**
- **उद्देश्य:**
    - **बाल संरक्षण, कल्याण** और **विकास** को सुनिश्चित करना, विशेषकर उन बच्चों के लिये जो **कमज़ोर परिस्थितियों** में रहते हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - **गोद लेने, पालन-पोषण देखभाल** तथा **प्रायोजन** के माध्यम से **परिवार-आधारित देखभाल** को बढ़ावा देना।
    - **बाल कल्याण समितियाँ (CWC)** और **किशोर न्याय बोर्ड (JJB)** जैसी संस्थाओं को **सशक्त** बनाना।
    - बच्चों के लिये **पुनर्वास** और **पुनः एकीकरण सहायता** प्रदान करना।
- **लक्षित लाभार्थी:**
    - **अनाथ, परित्यक्त** और **संवेदनशील बच्चे**।
- **दृष्टिकोण:**
    - **सरकारी मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों** तथा **समुदायों** के बीच **सहयोग** को प्रोत्साहित करता है।
    - यह योजना **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के तहत कार्य करती है।
- **वित्तपोषण पैटर्न:**
    - केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें **केंद्र-राज्य वित्तपोषण** का अनुपात **60:40** है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिये **90:10**)।
- **निगरानी प्राधिकरण:**
    - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)
- **महत्त्व:**
    - यह **बाल दुर्व्यवहार, तस्करी** और **शोषण** को रोकता है तथा **समग्र बाल विकास** को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राँची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राँची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक **की अध्यक्षता** की।

- बैठक में **विकास, संघवाद, सुरक्षा** और **अंतर्राज्यीय मामलों** पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें **बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने भाग लिया।**

प्रमुख बिंदु

- **टीम भारत विज़न:** 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के **सामूहिक विकास** पर जोर।
- **सहकारी संघवाद** और केंद्र एवं राज्य प्रयासों के एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- बैठक में मसानजोर बाँध (मयूराक्षी नदी), तैयबपुर बैराज (महानंदा नदी) और इंद्रपुरी जलाशय (सोन नदी) से **संबंधित लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित** किया गया।
- बैठक में बिहार और झारखंड के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित परिसंपत्ति-देयता संबंधी अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके समाधान के लिये पारस्परिक कदम उठाए गए।
- **कानून एवं व्यवस्था:**
  - पूर्वी राज्यों से आग्रह किया गया कि वे नए आपराधिक कानूनों को तेज़ी से लागू करें तथा मादक पदार्थों से निपटने के लिये नियमित रूप से **राष्ट्रीय मादक पदार्थ समन्वय पोर्टल (NCORD)** की बैठक आयोजित करें।
- बिहार, झारखंड और ओडिशा में नक्सलवाद में उल्लेखनीय कमी आई है, पश्चिम बंगाल को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है; भारत का लक्ष्य **3 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद** मुक्त होना है।
- **राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा:** प्रमुख विषयों में त्वरित सुनवाई के लिये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC), **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112)** की शुरूआत, ग्रामीण बैंकिंग तक पहुँच तथा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी नियोजन, बिजली और सहकारी प्रणालियों में सुधार शामिल थे।

क्षेत्रीय परिषद

- **गठन:** इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 **की धारा 15 से 22 के अंतर्गत की गई थी।**
- **नेतृत्व:**
  - इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।**
  - **सदस्य राज्यों के** मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल (LG) और प्रशासक इसके सदस्य हैं।
  - एक मुख्यमंत्री **वार्षिक आधार** पर **उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।**
- **सदस्यता:** प्रत्येक सदस्य राज्य से दो मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा परिषद में नामित किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पांच क्षेत्रीय परिषदें:**
  - **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद** : इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं।
  - **मध्य क्षेत्रीय परिषद:** इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं।
  - **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद:** इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
  - **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद:** इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।
  - **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद:** इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी शामिल हैं।
- **स्थायी समितियों:**
  - प्रत्येक परिषद में मुख्य सचिवों के नेतृत्व में एक स्थायी समिति होती है।
  - राज्य द्वारा प्रस्तावित मुद्दों की पूर्ण परिषद बैठक में रखे जाने से पहले यहाँ समीक्षा की जाती है।
- **पूर्वोत्तर राज्य:**
  - असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नगालैंड क्षेत्रीय परिषदों का हिस्सा नहीं हैं।
    - उनके विशिष्ट मुद्दों का समाधान पूर्वोत्तर परिषद **अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा** किया जाता है।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद **न्यायमूर्ति** तरलोक सिंह चौहान ने राँची के **राजभवन** में आयोजित एक समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायाधीश** के रूप में पद की शपथ ली। **न्यायमूर्ति** चौहान को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शपथ दिलाई (अनुच्छेद 219 के अनुसार)।

मुख्य बिंदु

भारत में उच्च न्यायालय

- **स्थिति:**
  - भारत की न्यायिक प्रणाली में **उच्च न्यायालय** सर्वोच्च न्यायालय से नीचे तथा अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर कार्य करता है।
  - **उच्च न्यायालय** राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है (भारत में कुल **25 उच्च न्यायालय** हैं)।
- **स्थापना:**
  - **वर्ष** 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में **उच्च न्यायालय** स्थापित किये गये। वर्ष 1866 में इलाहाबाद में चौथा **उच्च न्यायालय** स्थापित किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- समय के साथ, ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना **उच्च न्यायालय** हो गया।
- **स्वतंत्रता के बाद:** वर्ष 1950 के बाद, किसी प्रांत का मौजूदा उच्च न्यायालय उसी राज्य का **उच्च न्यायालय** बन गया।

संवैधानिक प्रावधान:

- **प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय:** भारत का संविधान प्रत्येक राज्य में एक **उच्च न्यायालय** का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 214)।
- **अनुच्छेद 231** में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिये अथवा दो या अधिक राज्यों और एक **संघ राज्य क्षेत्र** के लिये एक **उच्च न्यायालय** की स्थापना कर सकती है।
- **क्षेत्राधिकार:** प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्राधिकार के साथ सह-समाप्त होता है (या एक **उच्च न्यायालय** का क्षेत्राधिकार संबंधित राज्यों और **संघ राज्य क्षेत्रों** के क्षेत्राधिकार के साथ सह-समाप्त होता है)।
- **अनुच्छेद 214 से 231:** ये **उच्च न्यायालयों** के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति

- प्रत्येक **उच्च न्यायालय** में एक **मुख्य न्यायाधीश** और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश होते हैं।
  - राष्ट्रपति, **उच्च न्यायालय** के कार्यभार के आधार पर उसके सदस्यों की संख्या तय करते हैं।
- **उच्च न्यायालय** (HC) के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के **अनुच्छेद 217** के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **मुख्य न्यायाधीश** की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के **मुख्य न्यायाधीश** और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संबंधित **उच्च न्यायालय** के **मुख्य न्यायाधीश** से भी परामर्श किया जाता है।
- दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही **उच्च न्यायालय** के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा संबंधित सभी राज्यों के **राज्यपालों** से परामर्श किया जाता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ:

- वह **भारत का नागरिक** होना चाहिये।
- उसे भारत के क्षेत्र में **दस वर्षों** तक न्यायिक पद पर कार्य करना चाहिये, या
- उसे दस वर्षों तक किसी **उच्च न्यायालय** (या लगातार **उच्च न्यायालयों**) में अधिवक्ता होना चाहिये।

न्यूनतम आयु:

- संविधान में **उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल:

- **उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश **62 वर्ष** की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर रह सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कॉलेजियम सिस्टम

- न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
  - इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
  - इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
  - राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- अपारदर्शिता
- भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- कार्यपालिका का बहिष्करण
- नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

झारखंड के बारे में

- **राज्य का निर्माण:**
  - झारखंड, जिसका अर्थ है **"वनों की भूमि"**, 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग से छोटा नागपुर और **संथाल परगना** के बिहार डिवीज़नों को अलग करके बनाया गया था।
- **राज्य की सीमाएँ:**
  - झारखंड उत्तर में **बिहार**, पश्चिम में **उत्तर प्रदेश** और **छत्तीसगढ़**, दक्षिण में **ओडिशा** तथा पूर्व में **पश्चिम बंगाल** राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
- **राजधानी और शहर:**
  - औद्योगिक शहर **राँची** झारखंड की राजधानी है (**दुमका** इसकी उपराजधानी है), जबकि **जमशेदपुर** राज्य का सबसे बड़ा शहर है।
  - अन्य प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों में **धनबाद**, बोकारो **तथा हज़ारीबाग** शामिल हैं।
- **राज्य में खनिज:**
  - झारखंड भारत के खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा रखता है। यह भारत में कोयला, अभ्रक, कायनाइट और ताँबा के उत्पादन में **प्रथम** स्थान पर है।
- **राज्य की विशिष्टताएँ:**
  - यह राज्य अपने **झरनों, पहाड़ियों और पवित्र स्थलों** के लिये जाना जाता है। **बैद्यनाथ धाम,** पारसनाथ **तथा रजरप्पा** प्रमुख **धार्मिक स्थल** हैं।

झारखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

The Vision

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक **लिखित उत्तर** के दौरान **झारखंड** में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) की प्रगति पर प्रकाश डाला।

मुख्य बिंदु

- **जून 2025** तक, **झारखंड** में **51 EMRS** कार्यरत हैं, जिनमें **2024-25 शैक्षणिक वर्ष** के लिये **7550 छात्र नामांकित** हैं।
- **व्यय विभाग** ने **जनवरी 2023** में **EMRS** के लिये देश भर में **38,480 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों** के सृजन को मंजूरी दी।
- **झारखंड** को कुल **91 EMRS** आवंटित किये गये हैं, जिनमें से **68 EMRS योजना** के तहत और **23** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 275(1)** के तहत आवंटित किये गये हैं।
  - भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 275(1)** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से अनुदान सहायता की गारंटी देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

- EMRS पूरे भारत में भारतीय **आदिवासियों** (ST–अनुसूचित जनजातियों) के लिये **आदर्श आवासीय विद्यालय** बनाने की एक योजना है। इसकी शुरुआत **वर्ष 1997-98** में हुई थी। इसका **नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय** है।
- इन विद्यालयों का विकास **दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों** में अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को **कक्षा 6 से 12 तक नि:शुल्क, गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा** प्रदान करने के लिये किया जा रहा है, जिसमें **शैक्षणिक** के साथ-साथ **समग्र विकास** पर भी ध्यान दिया जाएगा। EMR **स्कूल** सामान्यत: **CBSE पाठ्यक्रम** का पालन करते हैं।
- इस योजना का उद्देश्य **जवाहर नवोदय विद्यालयों** और **केंद्रीय विद्यालयों** की तरह स्कूलों का निर्माण करना है, जिसमें **स्थानीय कला और संस्कृति** के संरक्षण के लिये **अत्याधुनिक सुविधाओं** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही **खेल तथा कौशल विकास** में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। **EMRS योजना** को **वित्त वर्ष** 2018-19 में नया रूप दिया गया था।
- **संसद के 2023 के बजट सत्र** के दौरान, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि **EMRS में कर्मचारियों की भर्ती** की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसायटी (NESTS) को हस्तांतरित की गई।
- NESTS को अब देश भर में **400 से अधिक एकलव्य स्कूलों** में **38,000 पदों** पर स्टाफ की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया है।
- **भर्ती के केंद्रीकरण** का उद्देश्य **EMRS प्रणाली** में **शिक्षकों की गंभीर कमी** को दूर करना तथा राज्यों में **भर्ती नियमों को मानकीकृत** करना था।

नोट

- **राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसायटी (NESTS)**, **जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA)** के तहत स्थापित एक **स्वायत्त संगठन** है।
- इसका उद्देश्य **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** के शिक्षकों और छात्रों के लिये **प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम** आयोजित करना है।

जनजातीय शिक्षा के लिये अन्य पहल:

- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
- पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति
- पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना
- **उच्च शिक्षा** के लिये **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (उच्चतम श्रेणी): जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा चिह्नित किसी भी संस्थान में **डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर** पर अध्ययन हेतु

'कला उत्सव 2025' में सोहराय कला का प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

झारखंड के कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन में **कला उत्सव 2025** के दूसरे संस्करण **'आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम'** में भाग लिया, जिसमें सोहराय कला की स्वदेशी भित्तिचित्र परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **14 से 24 जुलाई 2025** तक आयोजित इस उत्सव में **भारत के राष्ट्रपति** की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह उत्सव **भारत की जीवंत कला परंपराओं** का उत्सव था, जिसमें **लोक**, **जनजातीय** और **परंपरागत कलाकारों** को अपने कला-कार्य प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु

- सोहराय चित्रकला के बारे में:
  - सोहराय चित्रकला झारखंड के हज़ारीबाग क्षेत्र के विभिन्न आदिवासी समुदायों की महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक स्वदेशी कला है, जिसमें **कुर्मी**, **संथाल**, **मुंडा**, **उरांव**, **अगरिया और घटवाल** समूह शामिल हैं।
- **विशेषताएँ:**
  - यह चित्रकला **फसल कटाई** और **त्योहारों के अवसरों** पर बनाई जाती है। महिलाएँ **प्राकृतिक मिट्टी के रंगों** एवं **बाँस की कूचियों** का प्रयोग कर **मिट्टी की दीवारों** पर **पशुओं, वनस्पतियों** तथा **ज्यामितीय आकृतियों** का **सजीव चित्रण** करती हैं।
    - इसे '**फसल कला**' भी कहा जाता है क्योंकि यह **कृषि** और **पशुपालन** से गहराई से जुड़ी हुई है तथा जनजातीय जीवन की **कृषि प्रधान संस्कृति** को दर्शाती है।
  - '**सोह**' या '**सोरों**' का अर्थ होता है **दूर करना**, जबकि '**राय**' का अर्थ होता है **लाठी**। यह नाम **सांस्कृतिक अनुष्ठानों** के **प्रमुख प्रतीकों** को दर्शाता है।
- **मान्यता:**
  - **सोहराय चित्रकला** को वर्ष 2020 में **भौगोलिक संकेत (GI)** टैग प्राप्त हुआ है।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :